कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी(भारत निर्वाचन), जिला देवास (म.प्र.)

क्रमांक/554/स्टेशनरी/भा.निर्वा./2019 देवास, दिनांक 16.02.2019

—: संक्षिप्त निविदा सूचना :—

एतद् द्वारा स्थानीय लेखन सामग्री विक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के संदर्भ में निर्वाचन हेतु लगने वाली विभिन्न प्रकार की लेखन सामग्री की आकस्मिक आवश्यकता हेतु स्थानीय विक्रेताओं से सील बन्द निविदा **दिनांक 27.02.2019 (बुधवार) को दोपहर 1:00 बजे** तक निम्नानुसार संलग्न प्रपत्र पर आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाएं उसी दिन अपरान्ह 1:30 बजे उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगीं।

01. निविदाएं सीलबंद लिफाफे में जिस पर " **लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 स्टेशनरी निविदा** " लिखा होना चाहिए प्रस्तुत की जावें। प्रत्येक निविदा के साथ रू. 2500/— (रू. दो हजार पांच सौ) का क्रास बैंक ड्राफ्ट कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी देवास के नाम से देय संलग्न होना आवश्यक है।

02. **निविदाएं दिनांक 27.02.2019 दोपहर 1.00 बजे तक जिला निर्वाचन कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए,** उसके उपरांत प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। **निविदाएं उसी दिनांक 27.02.2019 को अपरांह 1.30 बजे जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा उपस्थित निविदाकार अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी।**

03. आवश्यक सामग्री की सूची जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त कर प्रत्येक सामग्री के समक्ष निर्माता कम्पनी का नाम, दर प्रति नग या प्रति सैकड़ा या प्रति किलो या प्रति दर्जन या प्रति दस्ता या प्रति पैकेट या प्रति मीटर जैसी भी आवश्यकता हो स्पष्ट लिखी जानी चाहिए।

04. सफल निविदाकार को सूची अनुसार सामग्री उपलब्ध रखना होगी तथा कार्यालय की मांग एवं आदेश अनुसार स्वीकृत की गयी दर अनुसार सामग्री तत्काल जिला निर्वाचन कार्यालय से आदेश प्राप्त होने पर उपलब्ध करना होगी। इस हेतु पृथक से कोई भाड़ा/किराया राशि देय नही होगी। प्रदाय कर्ता को सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाना आवश्यक होगी। निर्धारित मानक अनुसार नहीं पाये जाने पर सामग्री बदलकर देना होगी प्रदाय नहीं करने पर अन्य स्त्रोतों से सामग्री की व्यवस्था की जाने पर अतिरिक्त व्यय प्रदाय कर्ता से वसूल किया जावेगा।

05. निविदादाता द्वारा जिस दर पर निविदा प्रस्तुत की जावेगी उसमें यह माना जावेगा कि उस दर में समस्त प्रकार के कर /खर्च सम्मिलित है।

06. निविदादाता के आयकर एवं जी.एस.टी. कर का नियमानुसार कटोत्रा उन्हें भुगतान की जाने वाली राशि से स्त्रोत पर ही काट लिया जावेगा।

07. निविदा लिफाफे में प्रस्तुत दर के साथ निविदाकार को स्थापना पंजीयन प्रमाण पत्र, जी.एस.टी. पंजीयन विगत तीन वर्ष के आयकर रिर्टन का विवरण, पेन कार्ड की प्रति, सलग्न करना आवश्यक है ।

08. गुण—दोष के आधार पर बिना कोई कारण बताये निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार जिला निर्वाचन अधिकारी देवास को होगा।

09. किसी भी तरह के विवाद हेतु अंतिम निर्णय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी देवास का होगा।

(डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय)
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला देवास (म.प्र.)

क्रमांक/555/स्टेशनरी/भा.निर्वा./2019 देवास, दिनांक 16.02.2019

प्रतिलिपि :—

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त जनसंपर्क, भोपाल की ओर निविदा का प्रकाशन जिले के सर्वाधिक विक्रय वाले दो समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
3. कलेक्टर जिला शाजापुर, खण्डवा, रायसेन, इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, शाजपुर, नीमच, सीहोर की ओर निविदा सूचना की जानकारी अपने जिले के संबंधित व्यावसायियों को देने हेतु।
4. उप संचालक, जनसंपर्क, सूचना तथा प्रकाशन देवास की ओर भेजकर लेख है कि इस निविदा का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क करवाकर इसकी सूचना इस कार्यालय को भिजवायें।
5. अनुविभागीय अधिकारी देवास/सोनकच्छ/बागली/कन्नौद कार्यालय सूचना पटल पर चस्पा करें तथा स्थानीय मुद्रण व्यावसायियों को सूचित करें।
6. तहसीलदार देवास/सोनकच्छ/टोंकखुर्द/बागली/कन्नौद/खातेगांव कार्यालय सूचना पटल पर चस्पा करें तथा स्थानीय मुद्रण व्यावसायियों को सूचित करें।
7. स्टेनो —टू— कलेक्टर देवास ।

(डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय)
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला देवास (म.प्र.)